



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सिरोही में तहसील कार्यालय का कनिष्ठ सहायक 7500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 09 जुलाई। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सिरोही इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये राकेश पूनिया लिपिक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही को परिवादी से 7500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सिरोही इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कोयला निकालने एवं उसका परिवहन करने की टी.पी. जारी करने की एवज में राकेश पूनिया लिपिक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही द्वारा 7500 रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सिरोही इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राकेश पूनिया पुत्र श्री किशनाराम विश्नोई निवासी ग्राम पमाणा, तहसील सांचौर, जिला जालोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार सिरोही, जिला सिरोही को परिवादी से 7500 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।